श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

सामान्यतः संभावित प्रश्नों के उत्तर (FAQs)

1. **फार्मर रजिस्ट्री क्या है?**
यह 11 अंकों की किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान (किसान आईडी) है। जिसमें किसान के जनसांख्यिकीय विवरण, स्वामित्व वाली भूमि का विवरण एवं उसमें बोई गई फसलों का व्यापक तथा उपयोगी डेटा शामिल होगा। यह रजिस्ट्री किसान के आधार से जुड़ी हुई होगी।

2. **फार्मर रजिस्ट्री क्यों आवश्यक है?**
पीएम किसान / सीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और बीमा का लाभ उठाने के लिए किसान आई.डी.पंजीकरण आवश्यक है।

3. **क्या फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए आवश्यक है?**
फार्मर रजिस्ट्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों के लिए आवश्यक हैं।

4. **फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है?**
फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ डिजिटल रूप से पहुंचाना है।

5. **क्या यह केवल राजस्थान के किसानों के लिए है?**
योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है।

6. **फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए कौन पात्र है?**
राज्य के सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान जैसे सीमांत, लघु और बड़े किसानों का पंजीकरण इस योजना के अन्तर्गत किया जाना है ।

7. **क्या महिलाओं का पंजीकरण हो सकता है?**
हां, फार्मर रजिस्ट्री के तहत कृषि जोत धारक महिलाओं का भी पंजीकरण होता है।

8. **क्या 18 वर्ष से कम आयु वालों का फार्मर आईडी बनेगा ?**
हाँ, सभी कृषि जोत धारक किसानों की फार्मर आई.डी.बनाई जा सकेगी ।

9. **क्या ऐसे किसान जिनके पास कृषि जोत नहीं है, अपना पंजीकरण करवा सकते हैं?**
नहीं, वर्तमान में कृषि जोत धारक किसान जिनका नाम जमाबन्दी (राजस्व रिकॉर्ड) में दर्ज हो, वहीं किसान आई.डी. बनवा सकते है ।

10. **पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?**
फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को आधार कार्ड, नवीनतम खसरा / जमाबंदी की प्रति, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन अपने साथ शिविर में लाना आवश्यक हैं।

11. **क्या पंजीकरण के लिए पैन कार्ड की जरूरत है?**
नहीं, पंजीकरण के लिए पैन कार्ड आवश्यक नहीं है।

12. **अगर आधार कार्ड में त्रुटि है तो क्या करें?**
राजस्थान राज्य में किसान के आधार और जमाबंदी में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में भी फार्मर आईडी के लिए पंजीकरण संभव किया गया हैं। ऐसे प्रकरणों में गिरदावर और तहसीलदार के माध्यम से जांच कर सत्यापन किया जायेगा । लेकिन भविष्य के लिए आधार कार्ड में किसान के नाम और पहचानकर्ता के नाम में त्रुटि होने पर आधार कार्ड और राजस्व रिकॉर्ड में नाम त्रुटि होने पर उसमें सुधार करवाया जाना आवश्यक है ।

श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

सामान्यतः संभावित प्रश्नों के उत्तर (FAQs)

13 **क्या एक मोबाइल नंबर से कई किसान पंजीकरण हो सकते हैं?**
भारत सरकार के निर्देशानुसार एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो किसानों का पंजीकरण संभव हैं।

14 **फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीकरण कैसे किया जाता है?**
राज्य में अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। सभी जरूरी दस्तावेज (आधार कार्ड, नवीनतम खसरा / जमाबंदी की प्रति, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन) लेकर किसान शिविरों में पंजीकरण करवा सकते हैं।

15 **क्या फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क है?**
हां, शिविरों में पंजीकरण किसानो के लिए पूर्णतया निःशुल्क है।

16 **फार्मर रजिस्ट्री के अन्तर्गत पंजीकरण में कितना समय लगता है?**
कैम्प में ऑनलाइन प्रक्रिया करने में 10-15 मिनट लगते हैं।

17 **क्या पंजीकरण ऑफलाइन किया जा सकता है?**
नहीं, यह प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाईन है।

18 **क्या पंजीकरण प्रक्रिया हर साल करनी होगी?**
नहीं, यह प्रक्रिया एक बार ही अपनायी जानी है। इसके उपरांत फार्मर रजिस्ट्री में उत्तराधिकारी एवं भूमि क्रय कर्ताओं का विवरण अद्यतन किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

19 **क्या फार्मर रजिस्ट्री में एक पंजीकरण ही पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है?**
नहीं, राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में दर्ज प्रत्येक किसान को अपना अलग पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

20 **किसी खाते में कई सहखातेदार है तो क्या सभी किसानों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है?**
हाँ, सभी सहखातेदारों को अपना अलग-अलग किसान पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

21 **क्या अन्य राज्य के निवासी फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण करा सकते हैं?**
हाँ, यदि उनकी भूमि राजस्थान में है तो वे अपने आधार नंबर के द्वारा पंजीकरण करा सकते है।

22 **क्या किसान एक ग्राम पंचायत के शिविर में जाने से वहां पर, दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित अपनी कृषि भूमि को भी किसान आई.डी. से जुड़वा सकता है?**
हाँ, यदि वह ग्राम पंचायत उसी तहसील में है तो जुड़वा सकता है।

23 **किसी किसान की अलग-अलग तहसीलों में कृषि भूमि है तो क्या उसे अलग-अलग किसान आई.डी.बनवानी पड़ेगी?**
नहीं, एक किसान की एक ही विशिष्ट आई.डी. बनेगी, दूसरी तहसील की कृषि भूमि को, वह किसान वहां के शिविरों में उसी किसान आई.डी. से जुड़वा सकता है।

24 **किसान का शिविर में पंजीकरण हो गया और एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट दे दिया, उसके बाद क्या उसकी आई.डी.से जुड़े खसरों में संशोधन (जोड़ना या हटाना) संभव है?**
हां, एक बार एनरोलमेंट स्लीप जारी होने के बाद सुधार हेतु तहसीलदार के स्तर से जोड़ना या हटाना संभव है।

श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

सामान्यतः संभावित प्रश्नों के उत्तर (FAQs)

25 किसी किसान (महिला) के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसके राजस्व रिकोर्ड (जमाबन्दी) में पिता का नाम है तो क्या उसका किसान आई.डी. बन पायेगा?

हाँ, ऐसे प्रकरणों में किसान का एनरोलमेंट हो जायेगा, परन्तु अनुमोदन तहसीलदार द्वारा जांच व सत्यापन के बाद किया जा सकेगा।

26 किसी किसान का आधार नंबर मोबाईल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या वह शिविर में अपना पंजीयन करवा सकता है?

हाँ, ऐसे प्रकरणों में किसान की ई-केवाईसी बायोमैट्रिक (फेस रिकग्निशन) से हो सकेगी व ई-साईन भी बायोमैट्रिक हो सकेगी।

27 राजस्व रिकॉर्ड में यदि कोई कृषक मृतक हो तो क्या होगा अथवा परदादा/दादा आदि पूर्वजों के नाम जमाबन्दी में होने से उनके उत्तराधिकारी कैसे किसान आई.डी.बनवाये?

पहले उनको विरासत का नामान्तरण खुलवाना होगा एवं स्वयं का नाम जमाबन्दी में आने पर ही किसान आई.डी. बन सकेगी।

28 क्या होगा यदि किसी मृत व्यक्ति की कृषि भूमि का कोई अज्ञात या अपरिचित व्यक्ति क्लेम कर लेवे?

यह संभव नहीं है क्योंकि आधार एवं मोबाईल ओटीपी उपलब्धता के बिना बकेट क्लेम संभव नहीं है फिर भी यदि किसी मृत व्यक्ति की कृषि भूमि का क्लेम अज्ञात या अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो सम्यक जांच के पश्चात झूठे दावों को खारीज कर दिया जावेगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

29 यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फार्मर आईडी या फार्म आईडी के साथ क्या होगा?

यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो जब तक वारिसान का नामान्तरण नहीं भरा जावेगा तब तक फार्मर आईडी वैसे ही बनी रहेगी , नामान्तकरण दर्ज हो जाने पर मृतक किसान की फार्मर आईडी को डिएक्टीवेट किया जा सकेगा तथा उसके वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिसान के नाम नई फार्मर आईडी जनरेट की जा सकेगी।

30 यदि किसी किसान के जमाबन्दी में न्यायालय प्रकरण/निषेधाज्ञा व बैंक रहन आदि का नोट अंकित हो तो क्या पंजीकरण हो सकता है?

हाँ, जमाबन्दी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने से फार्मर आई.डी.बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक डिजिटल आई.डी. बनाने की प्रक्रिया है। इसमें राजस्व रिकॉर्ड में हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

31 किसी किसान की फार्मर आई.डी.में अन्य का खसरा जुड़ने से क्या वह उसका हकधारी हो जायेगा?

नहीं,फार्मर आई.डी. से कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल किसान की यह आई.डी. पहचान का माध्यम है।

32 क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट, प्राईवेट कम्पनी आदि के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी फार्मर आई.डी. बन सकेगी?

नहीं, केवल व्यक्तिगत किसान की फार्मर आई.डी. ही बन सकेगी।

श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

सामान्यतः संभावित प्रश्नों के उत्तर (FAQs)

33 किसान आईडी के साथ जुड़े डाटा/जानकारी की निजता व सुरक्षा के लिए क्या मापदण्ड तय किए गए है?

- जानकारी (डाटा) सुरक्षित माध्यम से एन्क्रिप्टेड फाईल्स के रुप में रखा गया है जिसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने पर सम्बन्धित विभाग को जानकारी प्रदान की जावेगी।
- आधार सीडींग के लिए E-KYC प्रक्रिया अपनाई जाती है और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेन्टिकेशन किया गया है।
- आधार से जुड़े किसान आईडी को आधार वॉल्ट में रेफरेन्स नंबर के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है।

34 क्या गैर कृषि उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तित भूमि भी किसान आईडी से जोड़ी जा सकती है?

नहीं, किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमियां ही जोड़ी जा सकती है।

35 भू-उपयोग परिवर्तन (जैसे कृषि भूमि से आवासीय आदि) किसान आईडी में कैसे प्रदर्शित होगा?

भूमि के हस्तांतरण एव हिस्सा परिवर्तन को नामान्तरण प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतन किया जाता है। इसी के अनुसार फार्मर आईडी / फार्म आईडी में अपडेट हो सकेगा एवं किसान को अद्यतन सूचना प्राप्त हो सकेगी।

36 किसानों को उनके क्षेत्र में लगने वाले शिविरों की जानकारी कैसे मिल सकेगी?

- कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को उनके मोबाईल पर एसएमएस एवं व्हाटसअप के माध्यम से समाचार पत्रों में जिला प्रशासन द्वारा
- स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से घोषणा द्वारा
- RJFRC.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से

37 क्या किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के सम्बन्ध में सहायता हेतु कोई हेल्पडेस्क या हेल्पलाईन उपलब्ध होगी?

हाँ,

- प्रत्येक शिविर में किसानों को जानकारी देने हेतु एक हेल्पडेस्क बनाई गई है।
- प्रत्येक जिले में किसानों को आईडी के सम्बन्ध में सहायता हेतु सहायता केन्द्र बनाये गये है।
- राज्य स्तर पर हेल्पडेस्क बनाई गई है।

38 क्या शिविरों में किसान अपने बकेट के क्लेम को अस्वीकार कर सकता है?

हाँ, यदि किसान का राजस्व रिकॉर्ड और बकेट क्लेम मिलान नहीं खाते हैं या उपलब्ध करवाए गये दस्तावेजों में कोई विसंगति हो।

39 शिविर में किसान का एनरोलमेन्ट हो गया परन्तु किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी, तो क्या करें?

सम्बन्धित तहसीलदार / अधिकारी / हेल्पलाईन को प्रकरण की सूचना देवें, जो अंग्रिम कार्यवाही करेंगे।

40 क्या किसानों को प्रिन्टेड किसान पहचान पत्र दिया जाएगा?

फार्मर आईडी(किसान पहचान पत्र) एक डिजिटली सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र (Digitaly verifiable certificate) होगा।

41 किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) की वैधता क्या है?

किसान के भूमि संबंधी हक-अधिकार एवं आधार विवरण में परिवर्तन पर किसान आईडी की वैधता निर्भर करती है।